भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5155
उत्तर देने की तारीख 24 जुलाई, 2019

निःशुल्क इंटरनेट सुविधा

5155. डॉ. सुजय विखे पाटील एवं श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उपभोक्ताओं को निःशुल्क इंटरनेट सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) क्या सरकार की नेट न्यूट्रलिटी फ्रे मवर्क के अंतर्गत निःशुल्क इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ट्राई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को निःशुल्क डाटा प्रदान करने का तरीका क्या होगा?

उत्तर

संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 19.12.2016 को "ग्रामीण इलाकों में मुफ्त डाटा की व्यवस्था के द्वारा डाटा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना" विषय पर दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशें दी थी।

ट्राई द्वारा ये सिफारिशें दिनांक 19.05.2016 को अपनी ओर से "फ्री डाटा" विषय पर निकाले गए परामर्श पत्र का निष्कर्ष था ताकि ग्राहकों को मुफ्त इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के मुद्दे का समाधान किया जा सके तथा उन मॉडलों की खोज की जा सके जो ट्राई के "डाटा सेवाओं के लिए भेदभावपूर्ण टैरिफों की मनाही, 2016" का उल्लंघन किए बगैर "फ्री डाटा" प्रदान करने के लाभों को प्राप्त किया जा सके। ट्राई की सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

जारी.....2

(1) ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए वहनीयता अंतर को पाटने तथा डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देकर सरकार के नकदी-रहित (कैशलेस) अर्थव्यवस्था के प्रयासों को समर्थन देने के लिए प्राधिकरण एक स्कीम की सिफारिश करती है जिसके तहत ग्रामीण ग्राहकों को उचित परिमाण में अर्थात प्रत्येक माह 100 एमबी मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) इस स्कीम को कार्यान्वित करने पर आने वाली लागत को यूएसओएफ से पूरा किया जाएगा।

(3) मुफ्त डाटा को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्कीमों को सुकर बनाने हेतु तीसरे पक्ष (एग्रिगेटर) को शामिल करने की जरूरत है जिसके बारे में दूरसंचार सेवा प्रदाता संशयी न हों और जिसका क्रियान्वयन भी भेदभाव रहित हो।

(4) मुफ्त डाटा वाली स्कीम के प्रति दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को संशयी नहीं होना चाहिए तथा इसे टीएसपी तथा एग्रिगेटर/विषय प्रदाता के बीच किसी भी प्रकार की व्यवस्था में अंतग्रस्त नहीं होना चाहिए तथा इसे 8 फरवरी, 2016 को अधिसूचित "डाटा सेवा विनियम के लिए पक्षपातपूर्ण टैरिफ का निषेध" में बाधा पहुँचाने के उद्देश्य से तैयार नहीं किया जाना चाहिए।

(5) निम्नलिखित व्यवस्था की सिफारिश की गई हैं:-

- समूहक (एग्रीगेटर) को दूरसंचार विभाग के यहां पंजीकरण कराना होगा।
- पंजीकरण की इच्छुक संस्था का भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष तक की होगी।
- पंजीकरण वाली संस्था प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से पंजीकरण को पूर्णत: अथवा अंशत: किसी तीसरे पक्ष को नहीं सौंपेगी अथवा हस्तांतरित नहीं करेगी।

इन सिफारिशों की जांच तत्कालीन दूरसंचार आयोग द्वारा दिनांक 08.09.2017 को आयोजित अपनी बैठक में की गई थी तथा दूरसंचार विभाग के दिनांक 25.09.2017 के पत्र के द्वारा इसे ट्राई के स्पष्टीकरण/पुनर्विचार के लिए वापिस भेज दिया गया था। ट्राई ने दूरसंचार विभाग में उपरोक्त हवाले को दिनांक 29.11.2017 को अपना उत्तर सौंप दिया।

सरकार ने ट्राई के उत्तर पर विचार-विमर्श किया और की सिफारिशों को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार न करने का निर्णय लिया:-

i. ट्राई की सिफारिश संख्या 1 और 2:- बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण वहनीय डाटा उपलब्ध कराने को लेकर होने वाली चिंता कम हुई है। अत: देय में इंटरनेट पारिस्थितिकी के व्यापक विकास के लिए वहनीयता की बजाय कनेक्टिविटी, स्थानीय भाषा में विषय की उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

ii. ट्राई की सिफारिश संख्या 3, 4 और 5: समूहक मॉडल उन उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो इंटरनेट के मौजूदा उपभोक्ता हैं लेकिन जिनका डाटा संबंधी उपभोग डाटा सेवाओं की कीमत के कारण सीमित है। वहनीयता के मुद्दे को बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धी के माध्यम से कम कर दिया गया है।

इसके अलावा, अर्थव्यवस्था के कई दूसरे क्षेत्रों में वेबसाइटें/पौर्टलों/एपों (समरूप से समूहक) के माध्यम से छूट की पेशकश करने वाले मिलते-जुलते मॉडल इस समय मौजूद हैं जिसमें ग्राहकों को वेबसाइट/पोर्टल/एप के माध्यम से लेन-देन करने पर छूट की पेशकश की जाती है। वर्तमान में ऐसी वेबसाइटों/पोर्टलों/एपों को विनियमित करने में सरकार का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है। इन समूहकों को पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है।

*****